मो.तालिब बनाम धर्मपाल शर्मा आदि
2025/136
निर्णय दिनांक 14.05.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2025/136 दर्ज दिनांक : 31.10.2025

1. मोहम्मद तालिब पुत्र गफुर जाति नाई मुसलमान निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू

–वादी

बनाम

1. धर्मपाल शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्रपुरा तहसील व जिला चूरू
2. इन्द्रपाल धनकड़ पुत्र हरलाल सिंह जाति जाट निवासी किठाना, झूझनू तहसील झूझनू
3. काशीराम जांगिड़ पुत्र हरलाल जाति जांगिड निवासी करणपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री ऋषिराजसिंह
प्रतिवादी सं. 1:– श्री सुरेन्द्र राहड़

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: पर्चा डिक्री :

दावा वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा–53 बाबत् तकसीम आराजी तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा संख्या 1148/765, कुल रकबा 5.7540 हेक्टेयर रोही मौजा गाजसर तहसील व जिला चूरू मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में खाता प्रविष्टियां दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते है।

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	मोहम्मद तालिब पुत्र गफुर जाति नाई मुसलमान सा. चूरू खातेदार	1148/765 मिन	0.1730	बारानी
2.	इन्द्रपाल धनकड़ पुत्र हरलालसिंह हि. 50083/5214 जाति जाट सा. किठाना खातेदार काशीराम जांगिड़ पुत्र हरलाल जाति जांगिड़ हि. 2060/52143 निवासी करणपुरा तह. तारानगर खातेदार	[illegible]/765 मिन	5.2143	बारानी
3.	धर्मपाल पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी इन्द्रपुरा खातेदार	1148/765 मिन	0.2007	बारानी
4.	गै. मु. रास्ता	1148/765 मिन	0.1660	बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.15 15:54:55 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। विभाजन की कार्यवाही एवं उसके परिणामस्वरूप किया जाने वाला बंटवारा बैंक के पूर्ववर्ती अधिकारों, बंधक अथवा चार्ज के अधीन रहेगा। संबंधित बैंक को विधि अनुसार अपना बकाया वसूल करने एवं विधिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

यह डिक्री आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.15 15:54:55 IST
Reason: SelfAttested